# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–84 / 15

1:– मदनलाल पुत्र मन्नालाल
2:– चैनसुख पुत्र मन्नालाल
3:– शंकरलाल पुत्र मन्नालाल
4:– घनश्याम पुत्र गोविन्दलाल
5:– बलराम पुत्र गोविन्दलाल
6:– मथुरालाल पुत्र गोविन्दलाल
7:– चतुर्भुज पुत्र गोविन्दलाल
8:– इन्द्रबाई पुत्री गोविन्दलाल
9:– भूलीबाई बेवा गोविन्दलाल
जातिगण धाकड निवासीगण अलीपुरा तहसील अन्ता जिला बारां
10:– रामनारायण मृतक
10 / 1 लालचन्द पुत्र स्व. रामनारायण
10 / 2 रोधश्याम पुत्र स्व. रामनारायण
10 / 3 चौथमल पुत्र स्व. रामनारायण
10 / 4 रोशन बाई पुत्र स्व. रामनारायण
जातिगण धाकड निवासीगण अलीपुरा तह0 अन्ता

(वादीगण)

बनाम

1:– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां राज0
2:– प्रदीप कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल
3:– अंकिता पुत्री श्री शान्तिलाल
4:– रतनी बाई बेवा श्री शान्तिलाल
5:– धनुष ना.बा. पुत्र प्रदीप कुमार
6:– सोम्या ना.बा. पुत्री प्रदीप कुमार | जरिये वली खुद माता
निवासीगण रोटेदा तह. केशोरायपाटन जिला बून्दी

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– 1.श्री रघुवीर सिंह राजावत ,
श्री हरिश शर्मा (वादी)
2. पेरोकार सरकार (प्रतिवादी)

दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांकः 13.10.2017

हस्तगत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं मृतक रामनारायण पुत्र मन्नालाल जाति धाकड की पुश्तैनी भूमि खसरा नं0 379 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नं0 378 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 52 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम बालाखेडा तहसील अन्ता के माल में स्थित है। यह विवरण खाता सं0 220 जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 तथा खाता सं0 156 जमाबन्दी 2030 से 2039 के अनुसार है।

वादीगण व रामनारायण द्वारा दौराने बन्दोबस्त उक्त वर्णित भूमि का पारिवारिक समझौते के मुताबिक प्रत्येक के खाते में अलग–अलग भूमि का बटवारा कराया जा चुका है तथा सभी वादीगण के खाते सेटलमेन्ट विभाग द्वारा समभाग करके भूमि दर्ज कर दी गई है।

ख0नं0 379 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा तथा ख0नं0 378 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा के नये ख0नं0 सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बनायें जा चुकें है जिसके नये ख0नं0 914 रकबा 1.34 हे0 खाता सं0 211 जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 खाते मदनलाल के दर्ज की गई है तथा ख0नं0 915 रकबा 1.34 हे. भूमि शंकरलाल के खाते दर्ज की गयी है।

ख0नं0 915/1365 रकबा 1.34 हे0 भूमि खाता सं0 76 जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 में चैनसुख के खाते दर्ज की गई है।

तथा इसी प्रकार ख0नं0 470 रकबा 1.34 हे0 भूमि खाता सं0 60 सम्वत 2054 से 2057 के अनुसार गोविन्दलाल खातेदार के नाम दर्ज की गई है जो गोविन्दलाल फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादी क्रम 4 ता 9 है तथा इसी प्रकार ख0नं0 915 रकबा 0.57 हे0 भूमि तथा ख0नं0 470/1367 रबा 0.78 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 हे0 भूमि खातेदार रामनारायण मृतक के खाते दर्ज की गई है।

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो नये ख0नं0 एवं रकबा निर्धारित किया गया है। उस में मात्र 7.28 हे0 भूमि वादीगण के खाते दर्ज की गई है इस प्रकार लगभग 7 बीघा भूमि वादीगण के खाते कम दर्ज की गई है जबकि वादीगण सेटलमेन्ट से पूर्व रकबे के अनुसार वर्तमान में काबिज काश्त चलें आ रहें है मौके पर सम्पूर्ण आराजी पूरी है जिस पर वादीगण अलग–अलग खेती करते चले आ रहें है। राजस्व रिकार्ड में रकबा कम किया हुआ है। जिसको दुरूरती किया जाना आवश्यक है।

वादीगण द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया गया है परन्तु नोटिस की समयावधि की औपरिकताएँ पूरी करने से पूर्व यह वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) के तहत प्रस्तुत है।

वाद कारण दिनांक 27–06–2015 को वादीगण ने प्रतिवादी से उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज रकबे की पूर्ति करवाये जाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी साफ इन्कार हो गया जिस कारण वाद बमुकाम अन्ता तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में इस आशय की सादिर डिक्री पारित फरमायी जावें कि:–

वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण में पृथक–पृथक खाते में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कम की गयी आराजी की पूर्ति वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करते हुए वादीगण को दुरूरत किये गये रकबें के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी, प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी करवाई गयी। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब दावा मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रकरण

मदनलाल वगै. में मुताबिक रिकॉर्ड व मिलान क्षेत्रफल के गत व हाल रिकॉर्ड के अनुसार जवाब निम्न प्रकार है :–

| सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति | वर्तमान रेकॉर्ड की स्थिति |
|---|---|
| 1. मदनलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति धाकड सा. अलीपुरा खसरा नं. 378 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा।<br>2. शंकरलाल रामनारायण पुत्रान मन्नालाल जाति धाकड निवासी अलीपुरा खसरा नं. 379 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा (मुताबिक जमाबन्दी संवत 2036–39 के अनुसार गत कुल भूमि 52 बीघा 4 बिस्वा का हाल रकबा 8.35 हेक्टयर है) | 1. मदनलाल पुत्र मन्नालाल कोम धाकड सा. अलीपुरा खसरा नं. 914 रकबा 1. 34 है0।<br>2. चैनसुख पुत्र मन्नालाल सा. अलीपुरा खसरा 915/1365 रकबा 1.34 है0।<br>3. शंकर पुत्र मन्नालाल जाति धाकड निवासी अलीपुरा खसरा नं. 915 रकबा 1.34 है0।<br>4. रामनारायण पुत्र मन्नलाल कोम धाकड सा. अलीपुरा खसरा नं. 470/1367 रकबा 0.78 खसरा नं. 915/1366 रकबा 0.57 कुल 1.35 है0।<br>5. घनश्याम, बलराम, मथुरालाल, चतुर्भुज पुत्रान गोविन्दलाल इन्द्राबाई पुत्री गोविन्दलाल भूलीबाई बेवा गोविन्दलाल कोम धाकड सा. अलीपुरा खसरा नं. 470 रकबा 1.34 है0 सभी खातो की कुल भूमि 6.71 है0। |

इस प्रकार 8.35 है0 के स्थान पर 6.70 है0 भूमि बाद भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा दी गई जो गत रकबे के मुताबिक 1.64 है0 कम दी गई है, जिसमें से मुताबिक नक्शा लट्टा हाल खसरा नं0 में नहर निकलने से 0.52 है0 भूमि (नक्शे में नहर का क्षेत्रफल निकालने पर) नहर में जाने के बाद 1.64–0.52=1.12 है0 भूमि की वास्तविक कमी हुई है। भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा निम्न खसरा नं. में वृद्वि कर दी गई है। जिससे प्रार्थीगण के रकबे की पूर्ति की जा सकती है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.स. | गत भूमि का विवरण | हाल भूमि का विवरण (भू. प्र.वि. द्वारा दर्ज) | बेशी | विशेष वित्ररण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इमामन बेवा चांद खॉ कोम मुसलमान सा. श्योपुरकलां ख.नं. 353 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा | ख.नं. 442 रकबा 1.52 है., खसरा नं. 443 रकबा 0.65 है., खसरा नं. 444/1332 रकबा 0.30 है0 कुल 2.47 है. | 0.40 है. | नामा. संख्या 544से इमामन बेवा चांद खॉ के नाम खसरा नं. 442 रकबा 1.22 है., खसरा नं. 443 रकबा 0.55 है., खसरा नं. 444/1332 रकबा 0.30 है.,कुल 2. 07 है. भूमि दर्ज रही तथा खसरा नं. 1549/442 रकबा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0.30 है. खसरा नं. 1550/443 रकबा 0.10 है. कुल 0.40 है. को सिदायचक किया गया जो रकबा मौके पर उपलब्ध नही है। अतः इन नम्बरों को विलोपित किया जा सकता है। |
| 2 | सिवायचक ख.नं. 647 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा | ख.नं. 780 रकबा 1.13 है. | 0.15 है. | — |
| 3 | मंजूशाह पुत्र बशीर शाह कौ. मुसलमान सा. देह बालाखेडा ख.नं. 798/623 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 823/623 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, कुल 8 बीघा। | ख.नं. 685 रकबा 0.43 है., ख.नं. 716 रकबा 0.32 है., ख.नं. 717 रकबा 0.19 है., ख.नं. 718 रकबा 0.24 है., ख.नं. 719 रकबा 0.19 है., ख.नं. 721 रकबा 0.09 है., कुल 1.46 है0 | 0.18 है. | नामा.सं. 834 से ख.नं. 1601/685 रकबा 0.18 है. सिवासचक किया जा चुका है। जिसे विलोपित किया जा सकता है। |
| 4 | प्रदीप कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल हिस्सा 2/9, अंकित पुत्री शान्तिलाल हि. 1/6, रतनीबाई बेवा शान्तिलाल हि. 1/6, धनुष ना.बा. पुत्र श्रेया ना.बा. पुत्री सोम्या ना.बा. पुत्री प्रदीप कुमार हि. 12/27 ना.बा. की वली माता खुद सा. रोटेदा तहसील केशोराय पाटन ख.न. 576 मि. रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा | ख.नं. 706 रकबा 2.60 है., ख.नं. 707 रकबा 1.41 है., कुल रकबा 4.01 है. | 0.43 है. | प्रार्थीगण की पूर्ति हेतु 0.39 है. कम किया जा सकता है। |

अतः भू0 प्र0 वि0 द्वारा बेशी किया गया खसरा नं0 1549/442 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1550/443 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1601/685 रकबा 0.18 है0 को विलोपित

कर तथा खसरा नं0 780 रकबा 1.13 है0 के बजाय 0.98 है0 तथा खसरा नं. 706 का रकबा 2.60 के बजाय 2.21 है0 दर्ज कर प्रार्थीगण के खसरा नं0 914 का रकबा 1.34 हे. के बजाय 1.56 हे. खसरा नं0 915/1365 का रकबा 1.34 हे. के बजाय 1.57 है0 खसरा नं. 915 रकबा 1.34 हे. के बजाय 1.57 है0 खसरा नं0 470/1367 का रकबा 0.78 हे. के बजाय 1.00 हे. तथा खसरा नं. 470 का रकबा 1.34 हे. के बजाय 1.56 हे. दर्ज कर क्षतिपूर्ति की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति नही है।

तहसील रिर्पोट अनुसार वकील वादी द्वारा संशोधित टाईटल पेश कर प्रदीप कुमार, अंकिता बाई, रतनी बाई, धनुष ना.बा. सोम्या ना.बा. पुत्री प्रदीप कुमार को पक्षकार बनाया गया। संशोधित टाईटल अनुसार पक्षकारान की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 6 की ओर से श्री शिव स्वरूप अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 6 को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 6 का जवाब बन्द किया गया।

तनकीयात कायम की गई

1. वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज है। जो ग्राम बालाखेडा तह0 अन्ता के माल में स्थित है।
2. दौराने बन्दोबस्त विवादग्रस्त भूमि का परिवारिक समझोते के अनुसार बंटवारा कराया जा चुका है तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा समभाग करके भूमि दर्ज कर दी गयी है।
3. सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो ख0नं0 व रकबा निर्धारित किया गया है। उसमें मात्र 7.28 हे. भूमि वादीगण के खाते दर्ज की गयी है।
4. लगभग 7 बीघा भूमि वादीगण के खाते कम दर्ज की गयी है। राजस्व रिकार्ड में भूमि का रकबा कम किया हुआ है।
5. वादीगण के खाते में कम की गयी भूमि की पूर्ति किया जाना न्यायोचित है।
6. वादीगण अपनी कम की गयी भूमि लगभग 7 बीघा की पूर्ति करा पाने के हकदार है राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है।
7. अनुतोष

साक्ष्य गवाहान के शपथ पत्र शंकरलाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड निवासी अलीपुरा तह0 अन्ता व मदनलाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड निवासी अलीपुरा तह0 अन्ता द्वारा पेश कर वादीगण का कब्जा होना व जमीन पुश्तैनी होना तथा रामनारायण की मृत्यु उपरान्त वादीगण का नाम खाते दर्ज नही होना इत्यादि बताया गया है। जिससे स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि वादीगण विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। इसलिए वादीगण को बतौर सहखातेदार कृषक घोषित किया जावे।

हमने पक्षकारान की बहस सुनी गई। दोराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र के चरणों को दोहराया और कथन किया कि तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट अनुसार निर्णय फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा दोराने बहस कोई आपत्ति जाहिर नही की। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट को ही बहस बताया।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। आधोपान्त पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार निर्णय पारित किया जाता है कि वादीगण के 1.12 हे. कम रकबे की पूर्ति भू0 प्र0 वि0 द्वारा बेशी किया गया खसरा नं0 1549/442 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1550/443 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1601/685 रकबा 0.18 है0 को सिवायचक दर्ज किया गया है। तहसीलदार अन्ता रिपोर्ट अनुसार उक्त नं0 का रकबा मौके पर उपलब्ध नही है। अतः उक्त नं0 को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण 2 ता 6 के खसरा नं0 780 रकबा 1.13 है0 को कम कर 0.98 है0 तथा खसरा नं. 706 का रकबा 2.60 के स्थान पर 2.21 है0 दर्ज कर प्रार्थीगण के खसरा नं0 914 का रकबा 1.34 के स्थान पर 1.56 हे. खसरा नं0 915/1365 का रकबा 1.34 के स्थान पर 1.57 है0 खसरा नं. 915 रकबा 1.34 हे. के स्थान पर 1.57 है0, खसरा नं0 470/1367 का रकबा 0.78 हे. के स्थान पर 1.00 है. तथा खसरा नं. 470 का रकबा 1.34 के स्थान पर 1.56 है. भूमि दर्ज कर वादीगण के कम रकबे 1.12 हे. भूमि की पूर्ति विलोपित किये हुए रकबे एवं अप्रार्थीगण के बडे हुए रकबे से किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना करे। अन्तिम डिक्री जारी हो।

**निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में दिनांक 13.10.2017 को सुनाया गया।**

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

# अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

## पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :–84 / 15**

1:– मदनलाल पुत्र मन्नालाल
2:– चैनसुख पुत्र मन्नालाल
3:– शंकरलाल पुत्र मन्नालाल
4:– घनश्याम पुत्र गोविन्दलाल
5:– बलराम पुत्र गोविन्दलाल
6:– मथुरालाल पुत्र गोविन्दलाल
7:– चतुर्भुज पुत्र गोविन्दलाल
8:– इन्द्रबाई पुत्री गोविन्दलाल
9:– भूलीबाई बेवा गोविन्दलाल
जातिगण धाकड निवासीगण अलीपुरा तहसील अन्ता जिला बारां
10:– रामनारायण मृतक
10/1 लालचन्द पुत्र स्व. रामनारायण
10/2 रोधश्याम पुत्र स्व. रामनारायण
10/3 चौथमल पुत्र स्व. रामनारायण
10/4 रोशन बाई पुत्र स्व. रामनारायण
जातिगण धाकड निवासीगण अलीपुरा तह0 अन्ता

(वादीगण)

बनाम

1:– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां राज0
2:– प्रदीप कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल
3:– अंकिता पुत्री श्री शान्तिलाल
4:– रतनी बाई बेवा श्री शान्तिलाल
5:– धनुष ना.बा. पुत्र प्रदीप कुमार
6:– सोम्या ना.बा. पुत्री प्रदीप कुमार | जरिये वली खुद माता
निवासीगण रोटेदा तह. केशोरायपाटन जिला बून्दी

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– 1.श्री रघुवीर सिंह राजावत ,
श्री हरिश शर्मा (वादी)
2. पेरोकार सरकार (प्रतिवादी)

दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक: 13.10.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री रघुवीर सिंह राजावत** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **पेराकार सरकार** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार निर्णय पारित किया जाता है कि वादीगण के 1.12 हे. कम रकबे की पूर्ति भू0 प्र0 वि0 द्वारा बेशी किया गया खसरा नं0 1549 / 442 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 1550 / 443 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1601 / 685 रकबा 0.18 है0 को सिवायचक दर्ज किया गया है। तहसीलदार अन्ता रिपोर्ट अनुसार उक्त नं0 का रकबा मौके पर उपलब्ध नही है। अतः उक्त नं0 को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण 2 ता 6 के खसरा नं0 780 रकबा 1.13 है0 को कम कर 0.98 है0 तथा खसरा नं. 706 का रकबा 2.60 के स्थान पर 2.21 है0 दर्ज कर प्रार्थीगण के खसरा नं0 914 का रकबा 1.34 के स्थान पर 1.56 हे. खसरा नं0 915 / 1365 का रकबा 1.34 के स्थान पर 1.57 है0 खसरा नं. 915 रकबा 1.34 हे. के स्थान पर 1.57 है0, खसरा नं0 470 / 1367 का रकबा 0.78 हे. के स्थान पर 1.00 है. तथा खसरा नं. 470 का रकबा 1.34 के स्थान पर 1.56 है. भूमि दर्ज कर वादीगण

E:\Hemraj\Revenue\Dicri.docx

के कम रकबे 1.12 हे. भूमि की पूर्ति विलोपित किये हुए रकबे एवं अप्रार्थीगण के बडे हुए रकबे से किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

| मुददई | रूपया | पैसा | मुददई | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकिल | | | महनताना वकिल | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमीश्नर | | | फीस कमीश्नर | | |
| बाबत इजराई हुकतनामा | | | बाबत इजराई हुकतनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म एवं नकल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिय दिखाया गया हो या नही दजै करना चाहीये।